



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2000/श्रावण 4, 1922

No. 409]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2000/SRAVANA 4, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये एक अगस्त, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 21क के खंड (8) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) अन्य दस्तावेजों की प्रति या उद्धरण के लिए, जिसमें ऐसे दस्तावेजों की ऐसी संपठनीय प्रति भी सम्मिलित है, जिसे कंप्यूटर पर पढ़ा जा सके—----- प्रति पृष्ठ के लिए पच्चीस रूपए।”

[फा. सं. 1/4/2000-सीएल-V]

ए. रामास्वामी, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का. नि. आ. 432, तारीख 18-2-56 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	का.नि.आ. 2535	1-11-1956
2.	का.नि.आ. 3135	21-12-1956
3.	का.नि.आ. 237	19-1-1957
4.	का.नि.आ. 2105	29-1-1957
5.	का.नि.आ. 3038	28-9-1957
6.	का.नि.आ. 3867	7-12-1957
7.	सा.का.नि. 48	22-2-1958
8.	सा.का.नि. 723	23-8-1958
9.	सा.का.नि. 750	30-8-1958
10.	सा.का.नि. 1026	1-11-1958
11.	सा.का.नि. 14	3-1-1959
12.	सा.का.नि. 548	9-5-1959
13.	सा.का.नि. 1140	17-10-1959
14.	सा.का.नि. 1224	7-11-1959
15.	सा.का.नि. 1364	12-12-1959

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
16.	सा.का.नि. 220	27-2-1960	51.	सा.का.नि. 449(अ)	17-4-1989
17.	सा.का.नि. 595	28-5-1960	52.	सा.का.नि. 510(अ)	24-5-1990
18.	सा.का.नि. 195	18-2-1961	53.	सा.का.नि. 795(अ)	18-9-1990
19.	सा.का.नि. 814	24-6-1961	54.	सा.का.नि. 289(अ)	31-5-1991
20.	सा.का.नि. 1105	9-9-1961	55.	सा.का.नि. 614(अ)	3-10-1991
21.	सा.का.नि. 1408	25-11-1961	56.	सा.का.नि. 754(अ)	26-12-1991
22.	सा.का.नि. 653	12-5-1962	57.	सा.का.नि. 312(अ)	6-3-1992
23.	सा.का.नि. 344	2-3-1963	58.	सा.का.नि. 353(अ)	26-3-1992
24.	सा.का.नि. 628	13-4-1963	59.	सा.का.नि. 484(अ)	11-5-1992
25.	सा.का.नि. 97	16-1-1965	60.	सा.का.नि. 581(अ)	27-8-1993
26.	सा.का.नि. 822	12-6-1965	61.	सा.का.नि. 621(अ)	24-9-1993
27.	सा.का.नि. 1570	30-10-1965	62.	सा.का.नि. 286(अ)	1-3-1994
28.	सा.का.नि. 368	19-3-1966	63.	सा.का.नि. 598(अ)	28-7-1994
29.	सा.का.नि. 421	18-3-1966	64.	सा.का.नि. 697(अ)	20-9-1994
30.	सा.का.नि. 499	9-4-1966	65.	सा.का.नि. 283(अ)	21-3-1995
31.	सा.का.नि. 743	21-5-1966	66.	सा.का.नि. 424(अ)	26-5-1995
32.	सा.का.नि. 847	4-6-1966	67.	सा.का.नि. 251(अ)	21-6-1996
33.	सा.का.नि. 1266	13-8-1966	68.	सा.का.नि. 97(अ)	28-2-1997
34.	सा.का.नि. 130	20-1-1968	69.	सा.का.नि. 126(अ)	1-3-1997
35.	सा.का.नि. 667	30-6-1973	70.	सा.का.नि. 16(अ)	6-1-1999
36.	सा.का.नि. 327(अ)	10-6-1975	71.	सा.का.नि. 23(अ)	12-1-1999
37.	सा.का.नि. 414(अ)	16-7-1975	72.	सा.का.नि. 130(अ)	23-2-1999
38.	सा.का.नि. 2596	1-11-1975	73.	सा.का.नि. 788(अ)	29-11-1999
39.	सा.का.नि. 2828	13-12-1975	74.	सा.का.नि. 58(अ)	17-1-2000
40.	सा.का.नि. 154	31-1-1976	75.	सा.का.नि. 363(अ)	27-4-2000
41.	सा.का.नि. 248(अ)	24-3-1976			
42.	सा.का.नि. 627	14-5-1977			
43.	सा.का.नि. 24(अ)	9-1-1979			
44.	सा.का.नि. 1256	6-10-1979			
45.	सा.का.नि. 555(अ)	4-9-1982			
46.	सा.का.नि. 479(अ)	22-4-1988			
47.	सा.का.नि. 694(अ)	10-6-1988			
48.	सा.का.नि. 782(अ)	13-7-1988			
49.	सा.का.नि. 908(अ)	7-9-1988			
50.	सा.का.नि. 1032(अ)	26-10-1988			

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS**

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2000

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Third Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the first day of August, 2000.	(1)	(2)	(3)
2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in rule 21A, in clause (8), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely :—	28.	G.S.R. 368	19-3-1966
“(ii) for copy of extracts of other documents including hard copy of such documents on computer readable media—	29.	G.S.R. 421	18-3-1966
_____Rupees	30.	G.S.R. 499	9-4-1966
_____twenty five	31.	G.S.R. 743	21-5-1966
_____per page”.	32.	G.S.R. 847	4-6-1966
	33.	G.S.R. 1266	13-8-1966
	34.	G.S.R. 130	20-1-1968
	35.	G.S.R. 667	30-6-1973
	36.	G.S.R. 327(E)	10-6-1975
	37.	G.S.R. 414(E)	16-7-1975

[F. No. 1/4/2000-CL.V]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Footnote : The Principal rules were published vide S.R.O. 432 dated 18-2-56 and subsequently amended by :—

Serial Number	Notification Number	Notification Date	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	40.	G.S.R. 154	31-1-1976
1.	S.R.O. 2535	1-11-1956	41.	G.S.R. 248(E)	24-3-1976
2.	S.R.O. 3135	21-12-1956	42.	G.S.R. 627	14-5-1977
3.	S.R.O. 237	19-1-1957	43.	G.S.R. 24(E)	9-1-1979
4.	S.R.O. 2105	29-1-1957	44.	G.S.R. 1256	6-10-1979
5.	S.R.O. 3038	28-9-1957	45.	G.S.R. 555(E)	4-9-1982
6.	S.R.O. 3867	7-12-1957	46.	G.S.R. 479(E)	22-4-1988
7.	G.S.R. 48	22-2-1958	47.	G.S.R. 694(E)	10-6-1988
8.	G.S.R. 723	23-8-1958	48.	G.S.R. 782(E)	13-7-1988
9.	G.S.R. 750	30-8-1958	49.	G.S.R. 908(E)	7-9-1988
10.	G.S.R. 1026	1-11-1958	50.	G.S.R. 1032(E)	26-10-1988
11.	G.S.R. 14	3-1-1959	51.	G.S.R. 449(E)	17-4-1989
12.	G.S.R. 548	9-5-1959	52.	G.S.R. 510(E)	24-5-1990
13.	G.S.R. 1140	17-10-1959	53.	G.S.R. 795(E)	18-9-1990
14.	G.S.R. 1224	7-11-1959	54.	G.S.R. 289(E)	31-5-1991
15.	G.S.R. 1364	12-12-1959	55.	G.S.R. 614(E)	3-10-1991
16.	G.S.R. 220	27-2-1960	56.	G.S.R. 754(E)	26-12-1991
17.	G.S.R. 595	28-5-1960	57.	G.S.R. 312(E)	6-3-1992
18.	G.S.R. 195	18-2-1961	58.	G.S.R. 353(E)	26-3-1992
19.	G.S.R. 814	24-6-1961	59.	G.S.R. 484(E)	11-5-1992
20.	G.S.R. 1105	9-9-1961	60.	G.S.R. 581(E)	27-8-1993
21.	G.S.R. 1408	25-11-1961	61.	G.S.R. 621(E)	24-9-1993
22.	G.S.R. 653	12-5-1962	62.	G.S.R. 286(E)	1-3-1994
23.	G.S.R. 344	2-3-1963	63.	G.S.R. 598(E)	28-7-1994
24.	G.S.R. 628	13-4-1963	64.	G.S.R. 697(E)	20-9-1994
25.	G.S.R. 97	16-1-1965	65.	G.S.R. 283(E)	21-3-1995
26.	G.S.R. 822	12-6-1965	66.	G.S.R. 424(E)	26-5-1995
27.	G.S.R. 1570	30-10-1965	67.	G.S.R. 251(E)	21-6-1996
			68.	G.S.R. 97(E)	28-2-1997
			69.	G.S.R. 126(E)	1-3-1997
			70.	G.S.R. 16(E)	6-1-1999
			71.	G.S.R. 23(E)	12-1-1999
			72.	G.S.R. 130(E)	23-2-1999
			73.	G.S.R. 788(E)	29-11-1999
			74.	G.S.R. 58(E)	17-1-2000
			75.	G.S.R. 363(E)	27-4-2000

